न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
72/22	212 RTA	बोरीना	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अमरलाल	बनाम	अशोक कुमार

वकील :– श्री

आदेश पत्रक

वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
7.07.2022	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।	
22.8.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की ओर से M सिद्दीक भारद्वाज एड. का वकालतनामा पेश हुआ पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 22.9.22 को पेश हो।	
22.9.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 17.11.22 को पेश हो	
17.11.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं प्रकरण को दिनांक पर Not Pres के खारिज करने कराने चाहते हैं अतः प्रार्थी का प्रकरण Not Pres के खारिज किया जाता है पत्रावली फाइल दुरूस्त होकर बाद तामील वकील के दाखिल दफ्तर हो।	विड्रो करना दुरोक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner